२५५/२२

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2024 पक्षकारान के अधिवक्ता उप / अनु / पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते अगला दिनांक 09/10/2024 को पेश हो।	
09/10/2024 दोनों पक्षों के अधिवक्ता उप० वरीय विद्यार्थी अवाज पेश नहीं कर मौखे ही बहस करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी की आवाज बंद कर बहस सुनी गई। दौराने बहस उभय-पक्ष अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि विवादित आबादी की मौके की यथास्थिति बरकरार रखने के लिए उभय-पक्ष गण द्वारा बहस सुनी गई और बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि मुकदमा अतिक्रमण का विचाराधीन है, जिसमें विभागीय प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है। जिस पर उपर. कार्यालय द्वारा वाद विचाराधीन चल रही है। यदि दोनों विचाराधीन वाद उभय-पक्ष को पांडव नहीं किया जाता है तो पक्षकार के मन में वाद बढ़ने की संभावना रहेगी। ऐसी सूरत में उभय-पक्ष को पांडव करना उचित प्रतीत होता है। विपक्षी आबादी का अधिकार [illegible] उभय-पक्ष को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मुकदमा [illegible] किया जाता है। पत्रावली चालक कुमार के दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested